पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

हरियाली मिशन

हरियाली मिशन के उद्देश्य :–

- बिहार राज्य में वर्ष 2022 के अंत तक वृक्षाच्छादन क्षेत्र को बढ़ाकर 17 प्रतिशत किया जाना है।
- जलछाजन विकास के अन्तर्गत 2000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य जिसमें 1000 वर्ग किलोमीटर अवकृष्ट वन क्षेत्र में वृक्षारोपण द्वारा पुनर्वासन कार्य सम्मिलित किया जाना है।
- कृषि वानिकी के द्वारा किसानों को अतिरिक्त/वर्द्धित आय का प्रबंध करने के साथ उनके आर्थिक स्तर पर उन्नयन करना।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवारों को लगाय गये वृक्षों का पट्टा देकर जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराना तथा गरीबी उन्मूलन में सहायता करना।
- राज्य में वनोत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि कर घरेलू आवश्यकता की पूर्ति में सहायता किया जाना।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कर सुदृढ़ एवं विस्तारित किया जाना एवं राज्य के औद्योगीकरण को बढ़ावा देना।
- राज्य में पारिस्थितिकीय संतुलन स्थापित करते हुए जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक प्रभाव को कम करना।
- तटबंधों, नहर एवं सड़क के किनारे तथा कृषि अनुपयोगी जमीनों पर विशेष रूप से वृक्षारोपण करना।

हरियाली मिशन अन्तर्गत 2012–17 की उपलब्धि

क्र. सं.	जमीन की प्रकृति	अवयव	राज्य अन्तर्गत कुल उपलब्ध क्षेत्र	2012–17 का लक्ष्य		2012–17 की उपलब्धि	
				लक्षित क्षेत्र	पौधों की सं. (लाख में)	क्षेत्र	पौधों की सं. (लाख में)
1	वन भूमि	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास तथा मृदा एवं नमी संरक्षण कार्य	350000 हे0	200000 हे0	1025.00	158813.74 हे0	621.075
2	वनों के बाहर सरकारी भूमि पर वृक्ष रोपण	नदी तटबंध–3629 कि.मी.	3629 कि.मी.	2200 कि.मी.	43.55	1116.2 कि.मी.	16.135
3		नहर तटबंध– 10392 कि.मी.	10392 कि.मी.	6235 कि.मी.	83.05	3245.55 कि.मी.	48.472
4		पथ निर्माण विभाग के पथ–8000 कि.मी.	8000 कि.मी.	4000 कि.मी.	53.40	5335.25 कि.मी.	56.769
5		ग्रामीण कार्य विभाग की पथ–95000 कि.मी.	95000 कि.मी.	38000 कि.मी.	380.00	38601 कि.मी.	386.01
6	अवकृष्ट एवं बंजर भूमि	बंजर/जल जमाव वाले क्षेत्र तथा शहरी वानिकी–112000 हे0	112000 हे0	33600 हे0	210.00	6996.62 हे0	7.436
7	किसानों की भूमि	कृषि वानिकी के तहत कृषि फसल के साथ पौधों का रोपण (भौगोलिक क्षेफल के 80 प्रतिशत रकबा को कृषि भूमि मानते हुए) पॉप्लर 75 प्रतिशत अन्य प्रजाति के पौधें 25 प्रतिशत	7533120 हे0	400000 हे0	600.00	343939.65 हे0	711.27
कुल					**2395.00**		**1847.167**

कृषि वानिकी (अन्य प्रजाति) योजना

हरियाली मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषक बंधुओं के सहयोग से कृषि वानिकी योजना संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

योजना का उद्देश्य :– इस योजना में शामिल होने के इच्छुक किसानों को उनके पसंद के पौधे (यथा संभव) बरसात के मौसम में अपने खेत/बगान/मेढ़ पर लगाने के लिए दिये जाते हैं। जिसमें उनको पौधों की देखभाल के लिये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। इन पौधों के बड़ा होने तथा वृक्ष बनने पर इससे होने वाली संपूर्ण आय पर शत्प्रतिशत अधिकार किसान बंधुओं का ही होता है।

योजना में दिये जाने वाले लाभ :–

- चयनित किसानों के द्वारा 10 रूपये प्रति पौधे की दर से सुरक्षित मूल्य लेकर विभाग द्वारा पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।
- प्रशिक्षण एवं तकनीकी जानकारी।
- तीन वर्षों के उपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता होने पर 60 रूपये प्रति पौधा की दर स प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा तथा पूर्व से जमा सुरक्षित मूल्य 10 रूपये भी अलग से कृषक बन्धु को लौटा दिया जायेगा।
- पौधों पर संपूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होगा।वृक्षारोपण पूरे खेत में 2 मी0 x 2 मी0 या 3 मी0 x 3 मी0 की दूरी पर या अन्य फसलों के साथ या मेढ़ पर लगाया जाता है।

योजना में शामिल होने की पात्रता :

- आवेदक के अपने नाम से या लीज पर पौधे लगाने लायक भूमि होनी चाहिए।
- योजना में शामिल होने के लिए भूमि की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है।

कृषि वानिकी – अन्य प्रजाति योजना की उपलब्धि

वर्ष	लाभुकों की कुल संख्या	कुल लगाये गये पौधों की संख्या (लाख में)
2013–14	6897	71.06
2014–15	11863	103.36
2015–16	11298	95.17
2016–17	12355	94.63
2017–18	14272	104.4
2018–19	9513	57.78

कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना

"कृषि वानिकी (पॉप्लर ई0 टी0 पी0) योजना" हरियाली मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार द्वारा उद्यमियों/किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉप्लर पौधा रोपण के लिए है।

योजना का उद्देश्य :–

- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
- राज्य के किसानों की आर्थिक सुदृढ़ीकरण।
- वनोत्पाद आधारित उद्योगों को कच्चे माल उपलब्ध कराकर औद्योगिकरण को बढ़ावा देना।

पॉप्लर ई0 टी0 पी0 की उपलब्धता :– इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को पर्यावरण एवं वन विभाग के स्थानीय पौधशालाओं से पॉप्लर के पौधें उपलब्ध कराये जाते हैं। पॉप्लर रोपण हेतु न्यूनतम दस फीट ऊँचाई एवं 2.5 ईंच गोलाई के पौधों को रोपण के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

- चयनित किसानों के द्वारा 10 रूपये प्रति पौधे की दर से सुरक्षित मूल्य लेकर विभाग द्वारा पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे।
- तीन वर्षों के उपरान्त 50 प्रतिशत से अधिक उत्तरजीविता होने पर 60 रूपये प्रति पौधा की दर स प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जायेगा तथा पूर्व से जमा सुरक्षित मूल्य 10 रूपये भी अलग से कृषक बन्धु को लौटा दिया जायेगा।

योजना में दिए जाने वाले लाभ :–

- लाभुकों को पॉप्लर ई0 टी0 पी0 रोपण एवं पौधों के देखभाल की तकनीकी जानकारी प्रशिक्षण में दी जाती है।
- पौधों पर सम्पूर्ण अधिकार किसान बंधुओं का होता है।

कृषि वानिकी – पॉप्लर (ई.टी.पी.) योजना की उपलब्धि

वर्ष	लाभुकों की संख्या	कुल रोपित ई०टी०पी० की संख्या (लाख में)
2012–13	1091	4.87
2013–14	4399	31.71
2014–15	8811	87.52
2015–16	6980	60.34
2016–17	6817	52.73
2017–18	7819	56.29
2018–19	4711	26.94
2019–20'	126	0.46

'पौधारोपण कार्य प्रगति पर है।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला योजनान्तर्गत "पॉप्लर पौधशाला" योजना

मुख्यमंत्री निजी पौधशालाअन्तर्गत पॉप्लर पौधशालास्थापना योजना, हरियाली मिशन, द्वारा उद्यमियों/किसानों/जमीन मालिकों द्वारा अपनी जमीन पर पॉप्लर पौधशाला स्थापित करने के लिए चलायी जा रहा है। इस योजना में शामिल होने वाले लाभुकों/कृषकों को पॉप्लर की कटिंग उपलब्ध करायी जाती है। इससे पॉप्लर के पौधे तैयार होते हैं, जिसे विभाग द्वारा पूर्व निर्धारित दर पर वापस खरीद लिया जाता है।

योजना का उद्देश्य :–

- कम समय में अधिक–से–अधिक पौधा तैयार करना।
- किसानों के खेतों में पॉप्लर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना।
- ग्रामीणों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।

वृक्षों/कटिंग की उपलब्धता :– इस योजना में शामिल होने वाले उद्यमी/कृषकों/लाभुकों को विभाग के स्थानीय कार्यालय, स्थापित पॉप्लर पौधशालासे पॉप्लर कटिंग उपलब्ध कराये जाते है। लाभुकों को 10,000/– (दस हजार) कटिंग प्रति एकड़ के हिसाब से उपलब्ध कराये जाते है।

कृषकों/लाभुकों को लाभ :– हरियाली मिशन के तहत पौधों की उत्तरजीविता के आधार पर निर्धारित राशि कुल तीन किस्तों में दी जाती है।

- ❖ प्रथम किस्त 20% मार्च में।
- ❖ द्वितीय किस्त 30% अक्टूबर में।
- ❖ तृतीय किस्त 50% दिसम्बर में।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला–पॉप्लर पौधशाला योजना की उपलब्धि

वर्ष	उद्यमियों/कृषकों की संख्या	कुल ई0टी0पी0 स्टम्प की संख्या (लाख में)
2012-13	407	56.71
2013-14	1055	165.74
2014-15	1043	108.74
2015-16	839	108.70
2016-17	878	101.1
2017-18	550	55
2018-19	400	40
2019-20*	100	10

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला (अन्य प्रजाति) योजना

योजना का उद्देश्य –जीविका समूह या इसके सदस्य/प्रगतिशील कृषकों के माध्यम से पौधशाला स्थापना से अलग–अलग प्रजातियों के उत्तम गुणवत्ता के ज्यादा संख्या में पौधे तैयार होंगे जिससे वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा किया जा सकेगा। साथ–ही लाभुकों के आय के साथ–साथ रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी।

पौधशाला स्थापना के लिए सहयोग – पौधशाला स्थापना के लिए तकनीकी जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। पौधशाला स्थापना के लिए पॉलिथीन न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराने में आवश्यकतानुसार सहयोग किया जाता है। गोबर, खाद, रसायनिक खाद, पौधशाला उपकरण इत्यादि न्यूनतम दर पर क्रय कराये जाने में आवश्यकतानुसार सहयोग किया जाता है।

योजना का विस्तार- योजना का विस्तार राज्य के प्रत्येक प्रखंड में किया जायेगा, इसमें राज्य के सभी जिले शामिल हैं।

कृषकों /लाभुकों को लाभ- पौधों के लिए कुल राशि (औसत रु० 11/–प्रति पौधा) दो किस्तों में (पहला किस्त देय राशि का 40% तथा दूसरा किस्त 60%) भुगतान किया जायेगा।

योजना में शामिल होने के लिए पात्रता- आवेदक की अपने नाम से या लीज पर जमीन होनी चाहिए।

- आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले कागजात-भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र।
- अद्यतन लगान रसीद।
- एकरारनामा की रसीद (यदि जमीन लीज पर ली गयी हो)।
- बैंक पासबुक की छायाप्रति। जिसमें न्यूनतम रू0 20,000/– होने चाहिए।

नोट : जीविका समूह के मामले में उपरोक्त शर्त्तो का अनुपालन आवश्यक नहीं है, बशर्त्ते उनका आवेदन सी.ई.ओ., जीविका के द्वारा अग्रसारित हो।

चयन में प्राथमिकता-जमीन समतल, ऊँची जल–जमाव मुक्त होनी चाहिए। जमीन पर 100 मीटर के दायरे में सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए।पूर्व के वर्षो में विभाग अथवा अन्य माध्यम से पौधशाला कार्य का अनुभव। जीविका समूह तथा पौधशाला संचालन में अनुभव रखने वाले प्रगतिशील कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है।

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला – अन्य प्रजातियों के लिए योजना की उपलब्धि

वर्ष	उद्यमियों/कृषकों की संख्या	पौधों की संख्या (लाख में)
2012-13	296	56.72
2013-14	379	76.40
2014-15	384	77.40
2015-16	468	93.60
2016-17	561	112.2
2017-18	300	60
2018-19	350	70
2019-20*	362	72.40

’ योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शोध कार्य

हरियाली मिशन के तहत् राज्य में वानिकी शोध यथा बीज संग्रहण, उपचार, अच्छे वृक्षों की पहचान, क्लोनल ट्रायल, टिशूकल्वर लैब की स्थापना, डिमोन्सट्रेषन प्लॉट निर्माण, मृदा जाँच, विभिन्न एग्रोकलाईमेटिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त वृक्ष प्रजाति का चयन, जलवायु परिवर्त्तन को देखते हुए विभागीय कार्यक्रमों एवं वानिकीकरण कार्यों की प्रचलित प्रक्रियाओं में परिवर्त्तन आदि विषय पर शोध कार्य किए जाने की योजना है। इसके लिए विभाग के द्वारा आई0सी0एफ0आर0ई0 के साथ अनुबंध कर कृषि वानिकी की प्रजातियों यथा – पॉप्लर,

शीशम, सैलिक्स, मेलिया, यूकेलिप्टस इत्यादि के पर शोध कार्य किया जा रहा हैं। इसके लिए कृषकों के खेतों डेमोंस्ट्रेशन प्लॉट तैयार कर प्रजातियों का रोपण किया जा रहा है।

- विभाग द्वारा राज्य के कृषि जलवायु क्षेत्र तथा मृदा के अनुसार शीशम, सैलिक्स तथा पॉप्लर प्रजाति के पौधों के लिए प्ब्थ्त्म के माध्यम से शोध कार्य कराया गया। राज्य में पॉप्लर 65 क्लोन को 6 भिन्न स्थलों/Location पर Trial के लिए रोपित किया गया।

प्रशिक्षण

हरियाली मिशन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पहल पर भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिष्द (आई0सी0एफ0आर0ई0) द्वारा हल्दवानी, पंत नगर एवं झांसी में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। किसानों को पौधशाला एवं कृषि वानिकी के अन्तर्गत लगाये जाने वाले विभिन्न प्रजातियों के पौधों का मानक संबंधित प्रशिक्षण दी जाती है।

- राज्य के विभिन्न वन संसाधन केन्द्र, पूर्णियाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेतिया और बांका में अवस्थित हैं, में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।
- कृषकों के बीच बांस प्रजाति के पौधों के रोपण को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से देश के उत्तर–पूर्वी राज्यों में प्रशिक्षण की व्यवस्था की गयी है।
- राष्ट्रीय बांस मिशन अंतर्गत 650 कृषकों/ Artisans को प्रशिक्षित किया जा रहा हैं। क्षेत्रीय अधिकारी को भागलपुर, अररिया एवं वैशाली जिले में प्रशिक्षण दिया गया है।
- बांस मिशन अंतर्गत राज्यस्तरीय कार्यशाला का आयोजन पूर्णिया वन प्रमंडल में किया गया है ।

राष्ट्रीय स्वछ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga)

बिहार में गंगा की कुल लम्बाई 445 कि0मी0 है। गंगा के प्रमुख्य सहायक नदियाँ– घाघरा, गंडक, कोशी एवं सोन है। बिहार के 20 जिले जहाँ से गंगा एवं उनकी सहायक नदियां बहती है उन जिलों में ''नमामि गंगे योजना'' के तहत् पौधारोपण किया जा रहा है। बिहार में गंगा 12 जिलों – बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगरिया, मुंगेर, कटिहार एवं भागलपुर से होकर बहती है। इस योजना के तहत् आद्रभूमि का विकास एवं ईको पार्क का निर्माण से गंगा एवं उसके सहायक नदियों के किनारे बसे स्थानीय समुदायों को आय का स्रोत्र प्राप्त होगा। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन परियोजना से पानी के प्रवाह में सुधार (दोनों गुणात्मक एवं मात्रात्मक) होगी। राज्य में

योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2016–17 से किया जा रहा है। "Forestry Interventions for Ganga" योजनान्तर्गत 5 वन प्रमण्डलों में वर्ष 2016–17 में कुल 39908 पौधों का रोपण किया गया। 2017–18 हेतु कुल रू0 9609.12 लाख की योजना समर्पित की गई है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में 85705 पौधा, 2018–19 में कुल 18 वन प्रमण्डलों में 4,49,225 पौधें तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 में अद्यतन 2,74,319 पौधें लगाये गये हैं। पौधारोपण कार्य प्रगति पर है।

Sub-Mission on Agro Forestry (SMAF)

राष्ट्रीय कृषि वानिकी परियोजना के अन्तर्गत हरित आवरण में वृद्धि एवं आजीविका के स्रोत उत्पन्न करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा **Sub-Mission on Agro-Forestry (SMAF)** की योजना कृषि मंत्रालय, भारत सरकार अन्तर्गत प्रारंभ की गई है। **SMAF** योजना में मुख्य रूप से दो अव्यव हैं– पौधशाला की स्थापना एवं कृषि वानिकी अन्तर्गत पौधारोपण शामिल है। अद्यतन 12 पौधशाला की स्थापना तथा 2.55 लाख पौधों का वितरण किया गया है।

राष्ट्रीय बांस मिशन

राष्ट्रीय बांस मिशन के कार्यक्रमों को राज्य अन्तर्गत क्रियान्वित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को नोडल विभाग बनाया है। इसके घटकों में प्रचार, कृषि, बांस उपचार का सम्वर्धन एवं संरक्षण, उत्पाद विकास एवं प्रसंस्करण, बांस बाजार के लिए आधारभूत संरचना का सम्वर्धन एवं विकास, कौशल विकास एवं जागरूकता अभियान, अनुसंधान एवं विकास तथा परियोजना प्रबंधन शामिल हैं।

कृषकों के आर्थिक आमदनी में वृद्धि, जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव में कमी एवं उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने हेतु निजी एवं सरकारी गैर वन भूमि पर बाँस वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बाँस मिशन के तहत् वर्ष 2019–20 से बाँस वृक्षारोपण, प्रसंस्करण इकाई लगाने, प्रदर्श प्लॉट बनाने आदि का कार्य राज्य में प्रारंभ किया गया है। योजनान्तर्गत कुल रु० 516.67 लाख की योजना की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त है। स्वीकृत योजना के अनुसार 60 पौधशाला (50 सरकारी भूमि पर एवं 10 निजी भूमि पर) स्थापना कार्य 4 **Bamboo Treatment and Seasoning plant** की स्थापना तिरहुत, अररिया, पूर्णिया एवं बांका वन प्रमंडल में, अररिया वन प्रमंडल में एक **Common**

Facility Centre की स्थापना तथा 48 हजार पौधो के रोपण का कार्य विभिन्न वन प्रमंडलों में एवं प्रदर्श प्लॉट, प्रशिक्षण इत्यादि का कार्य किया जा रहा है।

ग्रीन क्लाईमेट फंड (Green Climate Fund)

GCF के अन्तर्गत **NABCONS** द्वारा **DPR** तैयार किया गया है। दक्षिण बिहार के 7 जिलों यथा औरंगाबाद, गया, जमुई, कैमूर, नालंदा, नवादा एवं रोहतास में योजनांतर्गत कार्य किए जाएेंगे।